13.5.25

वकील जरीकेन उपस्थित। पत्रावली में वाद बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण विशेष में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 212 RTA के तहत पेश कर विवादित आराजी खसरा नंबर 1088 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 1089 रकबा 1 बिस्वा कुल मिलाकर 2 कुल रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा ग्राम पंचायत तहसील कामलपुरा पर स्थित आराजी नाम से दर्ज विवाद लिया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा पूर्व में दी दिनांक 5.3.2020 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की पत्रावली पर पाया गया दस्तावेज के अवलोकन में आराजी [illegible] को कब्जे में लिया गया अधिक समय हो गया। अतः आदेश दिया जाता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:26:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner